



अमित कुमार सिंह

आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलवाद

शोध अध्येता— रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बलिया (उठप्र), भारत

Received-17.12.2023,

Revised-23.12.2023,

Accepted-29.12.2023

E-mail: asrajpur72@gmail.com

सारांश: अन्याय, असमानता एवं शोषण से उत्पन्न नक्सलवाद वर्तमान समय में भारत के सबसे गम्भीर समस्याओं में से एक है। चारू मजूमदार और कानून सन्याल से प्रभावित होकर भूमिहीन किसान और वंचित सामाजिक वर्ग के लोगों द्वारा 1967 में शुरूआत किया गया। नक्सलवादी आन्दोलन की चपेट में देश के ज्यादातर हिस्सों में जल्द ही यह आन्दोलन अपना पाँव पसारने में कामयाब हो गया। नक्सलवाद के उदय के प्रमुख कारणों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक असहिष्णुता को शामिल किया जाता है। सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित एवं शोषित एक बड़ा वर्ग नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपनी मुक्ति का आन्दोलन चलाते रहे हैं। नक्सलवादी आन्दोलन जिन परिस्थितियों में उपजा उसमें वर्तमान समय में काफी बदलाव आये हैं, लेकिन फिर भी असमानता का स्तर वैसे ही विद्यमान है। वर्तमान समय में नक्सलवादी समस्या का स्थायी समाधान निकालना राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है।

कुंजीशूल शब्द— असमानता, शोषण, नक्सलवाद, भूमिहीन किसान, आन्दोलन, प्रशासनिक असहिष्णुता, आन्तरिक सुरक्षा।

नक्सलवाद एक नजर में— नक्सलवाद का प्रारम्भ 2 मार्च 1967 को शोषित किसानों द्वारा जमीदारों के अत्याचार से बचाने के लिए समाधान के रूप में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन कालान्तर में यह राष्ट्र के लिए गम्भीर समस्या बनकर उभरा है। आज नक्सली भारत के सुरक्षाकर्मियों, शीर्ष नेताओं एवं ग्रामीणों को दिन-प्रतिदिन मौत के घाट उतार रहे हैं। वर्तमान समय में भारत के आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष एक गम्भीर समस्या है जिसका हल निकालना आवश्यक है।

इतिहास— अपनी राष्ट्रीय सीमा के भीतर भारत अनेक अलगाववादी प्रतिरोधों का सामना कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी नक्सलवाद जैसी वीभत्स, हिंसक और जटिल चुनौती नहीं रहा है। विभिन्न इसलिए कि घात लगाकर सैन्य बलों की निर्मम हत्या करना ही इसका मुख्य कार्यशैली है। हिंसक इसलिए कि सशक्त संघर्ष के माध्यम से राज्य पर कब्जा जमाना इसका घोषित उद्देश्य है और जटिल इसलिए कि एक निमित्त और सहयोगिक बौद्धिक वर्ग द्वारा राज्य के ही मशीनरी का उपयोग कर राज्य के विरुद्ध संचालित इस हिंसक आन्दोलन को बढ़ावा देते रहे हैं।

'नक्सलवाद' शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जालिंग जिले के छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी से हुई। नक्सलवाड़ी गाँव में सामन्तों के शोषण के खिलाफ कुछ किसानों ने सशक्त विद्रोह कर सामन्तों को सजा दी जिसके बाद से इसे नक्सलवाद के नाम से जाना गया।

धीरे— धीरे चारू मजूमदार और कानून सन्याल जैसे नेताओं के नेतृत्व में नक्सलवाद का विस्तार पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन सत्तर के दश के दमन और राज्य में वामपंथी जातियों के सत्तारूढ़ होने के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम के लागू होने के साथ ही नक्सलवादी आन्दोलन पड़ोसी राज्यों में भी अपना पैर पसारता चला गया और वर्तमान समय में दर्जन भर से अधिक राज्यों में नक्सलवादी गतिविधि आँख संचालित हो रही है। देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर विभिन्न नक्सलवादी दलों द्वारा हिंसा की सरे आम घटनाओं द्वारा शान्ति-भंग किया जाता रहा है। इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश के आन्तरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया था। यह उग्रवाद हिंसक स्वरूप का है और बन्दूक के बल पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना इसका पूर्ण परिभाषित लक्ष्य है।

मओ के दर्शन में विश्वास रखने और उसके अनुसार चलने वाले नक्सलवादी आन्दोलनकारियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अपनाकर लगातार अपने कैंडर का विस्तार किया है जो कि भारत की आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष एक गम्भीर चुनौती बनकर उभरा है। नक्सलवाद आन्तरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि यह कानून व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक पिछऱ्हेंपन से जुड़ी समस्या भी है। देश में नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र काफी व्यापक हुआ है। देश के लगभग 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में नक्सलवाद फैल चुका है। नक्सलवाद एक प्रकार से भारत के विरुद्ध अधोषित युद्ध है जिसमें भारत के विरुद्ध भारतीयों का ही प्रयोग किया जा रहा है अर्थात् इसमें दोनों तरफ मारे जाने वाले लोग भारतीय ही हैं।

भारत में नक्सलवाद का विकास — भारत में नक्सलवाद के विकास को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है —

प्रथम चरण (1967 से 1980 तक) — इस चरण में मार्स्सवादी-लेनिनवादी-माओवाद पर आधारित था। इसका मतलब ये "वैचारिक और आदर्शवादी आन्दोलन का चरण रहा।" इस चरण में नक्सलवादियों को 'जमीनी अनुभव तथा अनुमान की कमी' देखने को मिलता है। इसी चरण में ही नक्सलवादियों को एक 'राष्ट्रीय पहचान' मिली, लेकिन वे एक राष्ट्रीय प्रभाव नहीं डाल पाएं।

1970 तथा मध्य 1971 के बीच में नक्सलियों की गतिविधि चरम सीमा पर थी। 1971 में पुलिस तथा थल सेना के संयुक्त आपरेशन पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाया गया था, जिसमें नक्सलियों के सभी नेता पकड़े गये या मारे गए।

चारू मजूमदार भी पकड़ा गया जिसकी मौत 1972 में पुलिस हिरासत में हो गई। आपातकाल के दौरान लगभग 4000 नक्सलवादी आन्दोलनकारियों को 1975 में जेल में डाल दिया गया था।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक



द्वितीय चरण (1980 से 2004 तक) – आपात काल के पश्चात् नक्सलवादी आन्दोलन अत्यधिक हिंसक रूप लेने लगा और लगातार लड़ाई की रणनीति के अनुसार इसने अपने आधार को फैलाना प्रारम्भ किया। नक्सलवाद धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैल गया। इस प्रकार इस चरण में नक्सलवादी आन्दोलन का व्यावहारिक विकास हुआ और साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रभाव व भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिला।

तृतीय चरण (2004 से जारी) – इस चरण में नक्सलियों का “राष्ट्रीय स्वरूप” उभरा और ‘विदेशी सम्पर्क’ बढ़े। वर्तमान समय में नक्सलवाद राष्ट्र की सबसे बड़ी आन्तरिक चुनौती बनकर उभरा है। साल 2004 नक्सली संघर्ष की सैन्य और राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन का साल रहा। इस दौरान चुनाव बहिष्कार और नक्सलियों का दक्षिण एशिया के सशक्त वामपंथी संगठनों के बीच बढ़ते समन्वय को भी देखा जा सकता है। देश की नक्सली राजनीति में साल 2004 में एक नया मोड़ तब आया जब पीपुल्स वार और एम०सी०सी०आई० का एकीकरण हुआ और एक नई ‘भारत की कम्युनिस्ट पाटी’ (माओवादी) बनी।

नक्सलवाद का उद्देश्य – नक्सलवाद का उद्देश्य सरकार की वैधता को समाप्त कर आम लोगों की जन आधार बनाना है। नक्सलियों का एकमात्र उद्देश्य लगातार हिंसक लड़ाई के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और ‘भारतीय जन प्रजातांत्रिक संघीय गणतंत्र’ की स्थापना करना है।

नक्सलवाद के उदय के कारण – नक्सलवाद के उदय के कारणों को निम्न विन्दुओं में समझ सकते हैं –

- बिना उचित मुआवजों के भूमि अधिग्रहण।
- आदिवासियों के जंगल-व्यवस्था में हस्तक्षेप करना।
- आवश्यक सुविधाओं का न होना।
- वंचित एवं शोषित समाज के प्रति कर्मचारियों का दुलमुल रवैया।
- सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन न होना।
- स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए नियमों, कानूनों की अनदेखी करना।
- समाज के मुख्यधारा से अलगाव।
- आर्थिक-सामाजिक विषमता।
- वंचित समाज के गरिमा व मनावाधिकारों का उल्लंघन।
- शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र – वर्तमान समय में नक्सलवाद देश के लगभग 10 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है जो सुरक्षा की दृष्टि से एक गम्भीर व चुनौतीपूर्ण समस्या है। जैसे-जैसे नक्सलवाद फैलता और आधुनिक होता जायेगा, वैसे-वैसे समस्या बढ़ती जायेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलगाना व उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आते हैं।

प्रभावित राज्य व उनके जिलों के नाम –

नक्सली प्रभावित राज्य और जिलों के नाम

Printed on April 28, 2017 in Udaipur, India

राज्य	जिला में जुटा	जिला में नक्सली प्रभावित	प्रभावित जिलों के नाम
झारखण्ड	13	8	झारखण्ड, असम, ब्रह्मपुर, तिरुपती, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती
उड़ीसा	38	11	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
बिहार	24	10	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
मध्य प्रदेश	27	9	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
छत्तीसगढ़	35	11	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
तेलंगाना	50	17	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
महाराष्ट्र	14	8	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
तमिळनाडु	72	31	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती, श्रीलंका, असम
पश्चिम बंगाल	19	2	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती
बंगलादेश	39	1	असम, झारखण्ड, ब्रह्मपुर, श्रीलंका, अर्जुनपुर, तिरुपती
पूर्व	318	99	

नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में उत्पन्न समस्याएँ वर्ष 1967 से लेकर अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित समस्याएँ देखने को मिलती हैं –

- आन्तरिक एवं वाह्य सुरक्षा को खतरा
- आर्थिक व सामाजिक विकास में बाधक
- राष्ट्रीय एकता को भंग होने का खतरा
- प्रशासन संचालन में बाधा
- देश के विकास में बाधा
- आमों लोगों में भय बना रहना
- सुरक्षा कर्मीयों के लिए सबसे बड़ा चुनौती।

नक्सल समस्या से निपटने के सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास –

– सामान्य तौर पर कानून-व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है अर्थात् राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सम्बन्धित राज्य का होता है। परन्तु नक्सलवाद की समस्या को देखते हुये वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने



इसको राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। बाद में गृह-मंत्रालय ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया।

— सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल, विकास, शिक्षा, उर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुँच हो उस पर काम कर रही है।

— सरकार प्रभावित क्षेत्रों को सड़क योजना के माध्यम से उन्हें शहरी सुविधाओं तक पहुँच पर काम कर रही है। सरकार ने वर्ष 2022 तक 48877 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा था।

— वर्ष 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक विशेष पहल की शुरुआत की थी ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

— नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने गृह मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2017 में आठ सूत्रीय 'समाधान' नाम से एक कार्य-योजना की शुरुआत की है।

समाधान पहल से तात्पर्य —

S = Smart Leadership (कृशल नेतृत्व)

A = Aggressive Strategy (आक्रामक रणनीति)

M = Motivation and Training (अभिप्रेरणा एवं पशिक्षण)

A = Actionable Intelligence (अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था)

D = Dashboard Based key Performance Indicators and key Result Area (कार्ययोजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र)

H = Harnessing Technology (कारगार प्रौद्योगिकी)

A = Action Plan for each threat (प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना)

— सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

— सरकार उन नक्सलियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करती है जो हिंसा छोड़कर समर्पण करते हैं।

इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए कि वर्तमान समय में नक्सलवाद देश के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किये जा रहे और प्रभावी नीतियाँ भी बनाई गई हैं जैसा कि उपर उल्लेख किया है परन्तु उन नीतियों का कार्यान्वयन आज भी उचित ढंग से नहीं हो पाया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 'नक्सलवाद' के मूल कारणों को ध्यान में रखकर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाए। क्योंकि नक्सलवाद सीधे तौर पर आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा है।

आगे और क्या किया जाने चाहिए —

1. नक्सलवाद सामाजिक-आर्थिक कारणों से उपजा था इसलिए पिछड़े व वंचित लोगों के सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के तह में जाकर योजना बनाने की आवश्यकता है।

2. नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार परख शिक्षा व अनेक रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए।

4. इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शोषित, वंचित व बेरोजगार युवाओं में किसी भी प्रकार असमानता व असंतोष न पनपे। इनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है।

5. आज जिस तरह से शहरों का विकास तेजी से हो रहा है उसी तरह से समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को शहर के आधुनिक सुविधाओं तक उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है।

6. केन्द्र और राज्यों के आपसी समन्वय के अभाव में नक्सली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का लाभ उठाते हैं, इसलिए आज केन्द्र व राज्य एवं राज्यों के बीच आपसी समन्वय होना चाहिए।

7. यह सार्वभौमिक सत्य है कि हिंसा से प्राप्त की हुई व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है इसलिए सरकारों को कानून व्यवस्था से उपर उठकर इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास किये जाने चाहिए।

8. नक्सलियों के साथ बैठकर समस्या के निदान हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

9. नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने का हर सम्भव प्रयास की जानी चाहिए क्योंकि एक बार अगर वे मुख्यधारा से जुड़ गए तो हिंसक आन्दोलन से उनका भोग भंग होगा।

10. संविधान की पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में इन्टरनल एडवाइजरी कॉसिल की स्थापना की बात की गई है। 11. इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलने के कारण इनमें असंतोष पनपता है और नक्सली इसी का फायदा उठाकर आदिवासियों को गुमराह करते हैं।

12. स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना और हथियार उठा चुके लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का हक निकालन होगा।

निष्कर्ष — नक्सलवाद भारत की आन्तरिक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुस्तरीय है। नक्सलवादी आन्दोलन भारत की आन्तरिक कमजूरियों को उजागर करता है, जो भारत की सीमा पार खतरे के दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। राष्ट्र की एकता, अखण्डता, कानून व्यवस्था व मानव सुरक्षा के लिहाज से नक्सलवादी समस्या की प्राथमिकता के स्तर पर इसके समाधान निकालने की आवश्यकता है।



संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Prasad Rajendra Chand Atul, "India's Internal Security Challenges", Mohit Publications, New Delhi-110002
2. बघेल, डॉ विरेन्द्र सिंह, "भारत की आन्तरिक सुरक्षा", दी रीडर्स पैरारडाइस पब्लिकेशन, अन्सारी रोड दिल्लीगंज, नई दिल्ली-110002
3. districtisinindia.com
4. <https://www.vifindia.org>
5. <https://www.dhyeyaias.com>
